


एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षण सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु
काउंसलिंग सूचना में संशोधन

कार्या. पत्र क्रमांक/EMRS/456 पार्ट/2024-25/4298 दिनांक 26.07.2024 के कंडिका-3 की उप कंडिका-II में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. काउंसलिंग के समय सिकलसेल के संबंध में संलग्न प्रमाण में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) का प्रमाण पत्र पर्याप्त है। सिकलसेल के कारण किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं है।
2. विद्यार्थी को काउंसलिंग के समय स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) नहीं लाना है। विद्यार्थी को एकलव्य विद्यालय आवंटित होने पर प्रवेश के विद्यालय में T.C. लेकर उपस्थित होना है।

 11/8/2024

उप-आयुक्त

छोगो राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं
आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति, नवा रायपुर